सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 388 राँची, गुरुवार, 7 अगस्त, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3 जुलाई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-60/2023 का०- 3928--श्री फिलबियूस बारला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-703/03), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2245, दिनांक-13.10. 2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है ।

उक्त आरोप पत्र में श्री बारला के विरूद्ध वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार एवं कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेशों का अवहेलना कर एम०जी०एम० कॉलेज, जमशेदपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति के पठन-पाठन हेतु कमीशन लेकर पुस्तक क्रय करने में भारी वित्तीय अनियमितता बरतने एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अधिकतम व्यय होने वाले राशि से कई गुना अधिक राशि का व्यय करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7103, दिनांक 19.12.2023 द्वारा श्री बारला से स्पष्टीकरण की माँग की गई है। श्री बारला के पत्रांक-01, दिनांक 11.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री बारला द्वारा स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रतिवेदित आरोप वित्तीय वर्ष 2014-2015 से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अंश (दिनांक 11.02.2014 से 31.03.2014) से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर श्री आशीष कुमार सिन्हा, झा०क०सेवा पदस्थापित थे। वित्तीय वर्ष 2014-2015 (01.04.2014 से 31.03.2015) में ये पदस्थापित ही नहीं थे फिर भी इनके विरूद्ध आरोप गठन किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 (01.04.2013 से 31.03.2014) की अवधि में दिनांक 11.02.2014 तक ये जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। उक्त अवधि में कुल 48.00 लाख का आवंटन में से 16,52,768/- रूपये पुस्तक अधिकोष की स्थापना योजना के उद्देश्य अनुरूप किया गया। शेष राशि का व्यय श्री आशीष कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया है ।

श्री बारला द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3353, दिनांक-17.12. 2024 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराये गये मंतव्य में श्री बारला का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है या नहीं के संबंध में स्पष्ट मंतव्य अंकित नहीं किया गया ।

श्री बारला के विरूद्ध कार्रवाई के क्रम में विभागीय झा०प्र०से० स्थापना प्रशाखा से श्री बारला का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार श्री बारला का निधन दिनांक 15. 01.2025. को हो गया है ।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में निम्न प्रावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."

अतः, समीक्षोपरांत उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में श्री फिलबियुस बारला झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-703/03), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, सम्प्रति-मृत के विरूद्ध इस प्रक्रियाधीन कार्यवाही के साथ-साथ अन्य सभी लम्बित कार्रवाई को समाप्त किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री फिलबियूस बारला, सम्प्रति-मृत के आश्रित एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 388 - 50